छीतर लाल वगै0 बनाम भीमसिंह (का0 मु0) तेजपाल सिंह

अपील संख्या : 16/319

24.01.2020	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान् अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग के द्वारा धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विद्वान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 11.07.89 की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 11.07.89 का अवलोकन किया । यह निर्णय राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2) के तहत पारित किया गया है और इसी अधिनियम की धारा 23 में अपील के क्षेत्राधिकार का विवेचन किया गया है । धारा 23 (2A) के अनुसार धारा 15 के अन्तर्गत पारित निर्णय से अप्रसन्नता की स्थिति में अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की जा सकती है । तद्नुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 11.07.89 के क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग के द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2007 का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जाती है । निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । 24/1/20 (भागवती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा